पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 262/2025

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी 12 डीवीएल डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र श्री मंगतुराम
2. श्रीमति सरस्वती पत्नी साहबराम
3. श्रीमति निकेता रानी पत्नी विक्रम सिह

(1 से 3) जाति जाट निवासीयान 12 डीवीएल डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. श्रीमति अंजनी पुत्री साहबराम पत्नी नरेश जाति जाट निवासी ममेरां तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 17/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 12 डीबीएल के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 137/35 में कुल 0.810 है0 कमाण्ड आराजी, इसी चक के खाता सं0 71/45 में कुल 1.2150 है0 कमाण्ड मय गै०मु० तथा इसी चक के खाता सं0 124/112 में कुल 1.7710 है० में वादी एव प्रतिवादी स0 2 व 3 ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 12 डीवीएल के खता सं0 137/35, खाता सं0 71/45, खाता सं0 124/112 में से प्रतिवादीसं० 1 साहबराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।